भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

T 821928

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख आज दिनांक 11 मई सन 2010 को श्री विपिन संगल पुत्र श्री मुकेश संगल निवासी एफ. 16ऐ/16बी., जगत पुरी, परवाना रोड़ दिल्ली–110051, जिसे आगे संस्थापक कहा गया है, के द्वारा निष्पादित किया गया ।

एंवम

1. श्री राजीव गर्ग पुत्र श्री रविन्द्र कुमार निवासी वी.वी. इण्टर कालिज रोड़, शामली, जिला मुजफ्फरनगर, (उत्तर प्रदेश), 2. श्री अजय मित्तल पुत्र श्री नरेश कुमार मित्तल निवासी 203/1, ब्रहमपुरी, मुजफ्फरनगर, , (उत्तर प्रदेश), 3. श्री राधेश्याम गर्ग पुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी 8 घेरखत्ती, सिद्ध काम्प्लैक्स, गउशाला रोड़, नई मण्डी मुजफ्फरनगर, , (उत्तर प्रदेश),4 श्री आलोक गर्ग पुत्र श्री महेश गर्ग निवासी बालाजी विहार, रेलवे रोड़, देवबन्द, जिला सहारनपुर, , (उत्तर प्रदेश),5. श्री विजय मित्तल पुत्र श्री नरेश कुमार मित्तल निवासी 203/1, ब्रहमपुरी, मुजफ्फरनगर, , (उत्तर प्रदेश),इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे ।

उपरोक्त अभिव्यक्ति में जब तक प्रसंग के विरूद्ध न हो, उपरोक्त में उनके उत्तराधिकारी और उत्तरजीवी एवम् कानूनी रूप से स्थापित किये गये सभी उत्तराधिकारी शामिल समझे जायेंगे ।

RegNo. 5542 Date 11/05/2010

Deed Related Detail

Deed Name TRUST	TRUST
Land Detail	
Tehsil/Sub Tehsil Sub Registrar VIII	Area of Building 0 वर्ग फुट
Village/City Jagat Puri	Building Type
Place (Segment) Jagat Puri	
Property Type Residential	
Area of Property 0.00	0.00 0.00
Money Related Detail	
Consideration Value 100.00 Rupees	Stamp Duty Paid 100.00 Rupees
Value of Registration Fee 3.00 Rupees	Pasting Fee 1.00 Ruppes

This document of TRUST TRUST

Presented by: Sh/Smt. Vipin Sehgal S/o, W/o Mukesh Sehgal R/o 16A/16B Jagat Puri parwana Road Delhi

in the office of the Sub Registrar, Delhi this 11/05/2010 day Tuesday between the hours of

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VIII
Delhi/New Delhi

Signature of Presenter

Executed and presented by Shri /Ms. Vipin Sehgal

and Shri / Ms. Shree Bhagirathi Charitable trust

Who is/are identified by Shri/Smt/Km. Ajay Mittal S/o W/o D/o N.R.Mittal R/o 203/1 Brham Puri Muzaffar Nagar

and Shri/Smt./Km C.P.Srivastav S/o W/o D/o adv. R/o 205 Shasri nagar Delhi

(Marginal Witness). Witness No. II is known to me.

Contents of the document explained to the parties who understand the conditions and admit them as correct.

Certified that the left (or Right, as the case may be) hand thumb impression of the executant has been affixed in my presence

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VIII
Delhi/New Delhi

Date 11/05/2010

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

T 821929

चूंकि संस्थापक पिछले काफी समय से समाज के सामान्य व्यक्तियों के लिये एवम् आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े समाज की उन्नति एवम शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में सहायता के लिये तथा अन्य धर्मार्थ कार्यो हेतु सुविधायें उपलब्ध कराने का इच्छुक है ।

और चूंकि संस्थापक इच्छुक है कि ट्स्ट उपर दिये गये इन उद्देश्यों को पूरा करे और उन सभी कार्यक्रमों तथा कियाकलापों जिन्हें ट्स्ट के सदस्य उचित समझें, कियान्वित करें और चूंकि ट्स्ट के ट्स्टी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सहमत हैं। अतः मैं विपिन संगल संस्थापक "श्री भागीरथी चैरिटेबल ट्स्ट" की स्थापना करता हूँ और उपरोक्त उदेदेश्यों को पूरा करने हेतु प्रारम्भिक रूप से 1100/– (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) ट्स्ट को देता हूँ जिसे ट्स्टी के मुख्य उद्देश्यों एवम् अन्य धर्मार्थ कार्यो के पूर्ण करने के लिये संचित करेंगे ।

VIPIN. Sangal

18 MAY 2010 82

Sr. No. 4298/1A .... S/o.........
Name.........
R/o......... Through.........
Purpose.........

HITESH SHARMA L. No.-642
Karkardooma Court Shahdara, Delhi-32

SEAL OF
SUB REGISTRAR
EAST DELHI

1. नाम

उपरोक्त ट्रस्ट का नाम "श्री भागीरथी चैरिटेबल ट्रस्ट" होगा ।

2. स्थान

इस ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय एफ. 16ऐ/16बी., जगतपुरी, परवाना रोड, दिल्ली–110051, होगा । इस ट्रस्ट के ट्रस्टी संस्थापक की सहमति से मुख्य कार्यालय या शाखा या इसके अन्तर्गत कोई अन्य संस्थान भारतवर्ष में कहीं भी खोल सकते है, अथवा स्थानान्तरित कर सकते हैं ।

3. ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य

अ. इस ट्रस्ट की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गयी है:–

1. समाज को आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग, जो चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, विद्यार्थियों को उच्च कोटि की प्राथमिक, माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व अन्य सभी प्रकार की शिक्षा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना ।

2. आर्थिक रूप से पिछडे समाज से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकों एवम् पाठ्य सामग्री हेतु सहायता उपलब्ध कराना एवम् उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रायोजित करना ।

VIPIN-Sanyal

SEAL OF
REGISTRAR
EAST [illegible]

(3) समाज के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु वृद्ध आश्रमों की स्थापना करना तथा उन्हें पुर्नवास हेतु सहायता उपलब्ध कराना।

(4) समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु तकनीकी, चिकित्सा, प्रबन्धन एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा एवम् कम्प्यूटर विज्ञान के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना एवम् उन्हें सुचारू रूप से चलाना।

(5) उच्च स्तरीय प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना एवम् उन्हें सुचारू रूप से चलाना।

(6) ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये गये संस्थानों के लिये अध्यापकों, प्रध्यापकों एवम् विषय विशेष में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एवम् व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये गये संस्थानों में नियुक्त करना।

(7) समाज को उचित मूल्य पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सालय, नर्सिंग होम की स्थापना करना एवं उन्हें सुचारू रूप से चलाना।

(8) ट्रस्ट के अन्तर्गत चिकित्सा एवम् शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था करना।

(9) ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समाज के अन्य व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारी एवम् गैर-सरकारी संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से नकद दान एवम् वस्तु के रूप में सहायता स्वीकार करना।

(10) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खरीद, दान, पट्टे के द्वारा भूमि, भवन, अर्जित करना अथवा भवन निर्माण एवम् अन्य स्थायी एवम् अस्थायी सम्पत्तियों का निर्माण करना।

VIPIN- Sanjay

SEAL OF
SUB REGISTRAR
EAST DISTT. DELHI

(11) समाज में लोगों का पर्यावरण की महत्ता को बताना व पर्यावरण की रक्षा हेतु जन कल्याण कार्य करना।

(ब) इस ट्रस्ट की स्थापना धर्मार्थ कार्यों हेतु की गयी है। ट्रस्ट की सभी आय एवम् निधियों एवम् सम्पत्तियों का प्रयोग केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु ही किया जायेगा। ट्रस्ट की निधियों एवम् सम्पत्तियों का प्रयोग आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं एवं उपबन्धों और उनमें किये गये संशोधनों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. ट्रस्ट की निधियाँ

ट्रस्ट की निधियों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(1) संस्थापक द्वारा दिया गया दान।

(2) समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया दान जोकि ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यों के विरुद्ध न हो।

(3) ट्रस्ट के संस्थानों द्वारा ली गयी शैक्षिक फीस।

(4) ट्रस्ट द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कराये गये कार्यक्रमों से प्राप्त दान तथा आय।

(5) ट्रस्ट की निधियों के निवेश से प्राप्त आय।

(6) सरकारी, गैर-सरकारी स्वायत्त संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं से प्राप्त दान, अनुदान, उपहार, नकद अथवा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति इत्यादि।

(7) अन्य आय।

5. प्रबन्धन

(1) ट्रस्ट का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किया जायेगा जिसके प्रथम आजीवन सदस्य उपरोक्त दिये हुये संस्थापक व ट्रस्टी होंगे।

SEAL OF
REGISTRAR
EAST DISTT. DELHI

(2) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सदस्य संख्या न्यूनतम 2 (दो) व अधिकतम 10 (दस) होगी।

(3) यदि कोई सदस्य ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करेगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि बहुमत के आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर निष्कासित कर दिया जाये। ऐसे निर्णय पर अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की सहमति आवश्यक एवम् निर्णायक होगी।

(4) ट्रस्ट के कार्यों के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी निर्णय बहुमत के आधार पर किये जायेंगे। किसी भी विवाद की अथवा असहमति की स्थिति में अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त निर्णय अन्तिम एवम् सर्वमान्य होगा।

(5) यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट से पृथक होना चाहे तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बहुमत के आधार पर उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर सकेगा एवं उनके रिक्त स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नामांकन कर सकेगा। ऐसे निर्णय पर अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की सहमति अनिवार्य होगी।

(6) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या तीन अथवा संपूर्ण सदस्यों की संख्या का एक तिहाई, दोनों में से जो भी अधिक हो, होगी।

(7) विशेष परिस्थिति में किसी भी प्रस्ताव का निर्णय सदस्यों को लिखित रूप में प्रस्ताव भेजकर किया जा सकता है। ऐसे सभी लिखित प्रस्तावों पर आधे से अधिक सदस्यों की सहमति से वह प्रस्ताव सुचारू रूप से पारित किया माना जायेगा, परन्तु ऐसे सभी प्रस्तावों पर अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की सहमति अनिवार्य होगी।

VIPIN- Sayal

SEAL OF
REGISTRAR
EAST DISTT. DELHI

6. **ट्रस्टी एवम् उनकी नियुक्ति**

(1) ट्रस्ट के संस्थापक एवम् उपरोक्त ट्रस्टी ट्रस्ट के प्रथम आजीवन ट्रस्टी होंगे। निम्न परिस्थितियों में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बहुमत के आधार पर अधिकार होगा कि वह ट्रस्टी को ट्रस्ट की सदस्यता से निष्कासित कर व उसके स्थान पर किसी नये सदस्य को ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण करवा सके।

(i) ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करना।

(ii) पागल या दिवालिया होने पर।

(2) बोर्ड आफ ट्रस्टीजों को बहुमत के आधार पर यह अधिकार होगा कि वह समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को किसी भी समय ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने के लिये आमन्त्रित कर सकते हैं।

7. **ट्रस्ट की कार्यकारिणी**

(1) ट्रस्ट के संस्थापक श्री विपिन संगल ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक अध्यक्ष होंगे।

(2) ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री राजीव गर्ग ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक उपाध्यक्ष होंगे।

(3) ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री राधेश्याम गर्ग ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक सचिव होंगे।

(4) ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री अजय मित्तल ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक कोषाध्यक्ष होंगे।

(5) ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आलोक गर्ग ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक सदस्य होंगे।

(6) ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री विजय मित्तल ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक सदस्य होंगे।

VIPIN-Sangal

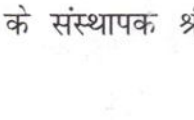

SEAL OF SUB REGISTRAR EAST DIST. DELHI

8. **अध्यक्ष के कार्य एवम् अधिकार**

(1) ट्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित संस्थानों के मुख्य कार्यधिकारी, निदेशक एवम् अन्य कार्मिकों की नियुक्ति बोर्ड के निर्देशानुसार करना।

(2) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(3) विषय सूची के बाहर कोई भी प्रस्ताव रखने की स्वीकृति प्रदान करना।

(4) ट्रस्ट की तरफ से इकरारनामा करना।

9. **उपाध्यक्ष के कार्य एवम् अधिकार**

(1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्य एवं अधिकार उपाध्यक्ष द्वारा किये जायेगे।

10. **सचिव के कार्य एवम् अधिकार**

(1) ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व सचिव पर होगा।

(2) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अथवा उसकी समिति, उपसमितियों की बैठक बुलाना एवम् उन बैठकों में उपस्थित रहकर उनका ब्यौरा रखना।

(3) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के समस्त प्रस्तावों को कार्यवाही रजिस्टर में लिखना एवम् भविष्य की योजनाओं से बोर्ड को अवगत कराना एवम् उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करना।।

(4) संस्था की तरफ से इकरारनामा करना।

(5) संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना एवम् न्यायालय एवं अन्य सभी सरकारी/गैरसरकारी विभाग सम्बन्धी कार्य देखना।

VIPIN-Sangal

SEAL OF REGISTRAR

EAST DISTT. DELHI

11. **कोषाध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार**

(1) आय व्यय का लेखा रखना तथा अंकेक्षण कराकर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को प्रस्तुत करना।

(2) संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के कागजात रखना और उसकी देखभाल करना।

12. **बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कार्य एवम् अधिकार**

(अ) सभी सैद्धान्तिक निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा बहुमत के आधार पर किये जायेंगे। असहमति अथवा विवाद की स्थिाति में अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त निर्णय अन्तिम एवम् सर्वमान्य होगा।

(ब) उपरोक्त सामान्य अधिकारों के अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को निम्न अधिकार होंगे -

(1) सचिव द्वारा किये गये आय-व्यय के लेखों को अपनी स्वीकृति प्रदान करना।

(2) ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किये गये व्ययों की स्वीकृति प्रदान करना।

(3) ट्रस्ट के कार्य हेतु नियम व उपनियमों की रचना करना एवम् समय-समय पर उनमें परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन करना।

(4) आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ, सलाहकार अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवम् उनके अधिकारों को परिभाषा करना।

(5) ट्रस्ट के संचित निधियों को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट के धन को जो तुरन्त अपेक्षित न हो, प्रतिभूतियों या अन्य किसी रीति से निवेश हेतु अध्यक्ष एवम् सचिव को निर्देशित करना।

VIPIN Sanjal

SEAL OF THE SUB REGISTRAR
EAST DISTT. DELHI

(6) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी दान, सहायता, चाहे या सहायता नकद अथवा चल-अचल सम्पत्ति के रूप में हो, को स्वीकार कर सकता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की कोई सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उद्‌देश्यों एवम् मूल सिद्धान्तों के विपरीत न हो, ट्रस्ट के कोष में अतिरिक्त धन होने पर राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जमा किया जायेगा तथा चल व अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट को प्राप्त होगी उसे अधिकृत रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा उसे आवश्यकतानुसार उचित मूल्य मिलने पर हस्तान्तरण किया जा सकेगा।

(7) ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि अथवा चल-अचल सम्पत्ति का अर्जन करना एवम् उस पर भवन तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण करना।

(8) ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिये अध्यक्ष व सचिव द्वारा किये गये खर्चों की अनुमति प्रदान करना व उनका भुगतान करना।

(9) संस्था की आवश्यकताओं अनुसार बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना एवम् ऋण प्राप्त करने की प्रतिभूती हेतु ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बन्धक रखना।

(10) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वो ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले समस्त कार्य आवश्यकतानुसार कर सकें।

(11) ट्रस्ट की अतिरिक्त चल अचल सम्पत्ति को उचित मूल्य पर स्थानान्तरित करना।

(12) ट्रस्ट को चलाने के लिए कोई समिति, उपसमिति, विशेषज्ञ और परामर्शीय या व्यक्ति या अभिकर्त्ता या अटॉर्नी, जो वह आवश्यक समझे ऐसे पारिश्रमिक पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो वह

VIPIN-Sanjal

SEAL OF
REGISTRAR
EAST DELHI

उचित समझें नियुक्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिये ऐसे व्यय करना और इस प्रयोजना के लिये किसी सदस्य को नियुक्त करने और प्रतिपूर्ति करने की शक्ति सहित समस्त शक्तियों से उसे विनिहित करना।

(13) न्यायालय में या उसके बाहर समस्त वाद, कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियों को संस्थिति करना, अभियोजित करना, प्रतिरक्षा करना, तय करना, समझौता करना या प्रशमन करना और सब मत-भेद और मागें तय करना और ऐसा कोई या समस्त वाद, कार्यवाही या अन्य कार्यवाहियाँ, मत-भेद और मांगे मध्यस्त को निर्दिष्ट करना। और ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लेखों का समायोजित करना, तय करना और उनसे सम्बन्धित सभी कार्य करना।

13. ट्रस्ट के नियम

(1) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मिटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता संचिव करेंगे।

(2) बोर्ड की मीटिंग प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी। बोर्ड की बैठक के लिये न्यूनतम तीन सदस्य अथवा कुल सदस्यों का एक तिहाई (1/3) जो भी अधिक होगा, की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(4) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सदस्यों को एक वोट होगा।

(5) विशेष परिस्थितियों में बैठक में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव डाक द्वारा सभी सदस्यों को बितरित किया जायेगा। ऐसे प्रस्तावों के पारित माने जाने वाले हेतु कम से क्रम आधे सदस्यों एवम् अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

Vipin-Sangal

14. **बैंक खाता**

ट्रस्ट के कोष के लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाते खोलें जायेगें। यह खातें आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि के लिये, चालू खाता अथवा सावधि खाता किसी भी रूप में खोले जा सकते हैं। इन खातों का संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से होगा।

15. **ऋण व्यवस्था**

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को अधिकार होगा कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैंक, वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य किसी व्यक्ति से ऋण स्वीकार कराये जायें एवम् इनकी प्रतिभूमि के लिये ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति को बन्धक रखें।

16. **लेखा एवम् अंकेक्षण**

(1) ट्रस्ट के खाते व अन्य अभिलेख कोषाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से रखे जायेंगे। कोषाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विधि सम्मत वार्षिक लेखे तैयार करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को प्रस्तुत करें।

(2) ट्रस्ट के वार्षिक लेखे प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित किये जायेंगे एवम् अंकेक्षण का व्यय ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा।

17. **समापन**

(1) ट्रस्ट के सदस्य किसी स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी अन्य ट्रस्ट, संस्था या धमार्थ संस्था को जिसके उद्देश्य इस विलेख के उद्देश्यों के समान हैं, इस आशय और प्रभाव के साथ कि ऐसा अन्य ट्रस्ट, संस्था या धमार्थ संस्था इस विलेख द्वारा संजिल न्यास का अनिवार्य अंक माना जायेगा। इस विलेख द्वारा संजिन इस न्यास के साथ सभा में लिप्त करने के लिये अनुज्ञात करने

VIPIN-Sanyal

SEAL OF THE SUB REGISTRAR
EAST DISTT. DELHI

और मंजूरी देने हुते स्वतन्त्र होंगे। परन्तु ऐसी कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं की जायेंगे जिनमें इन ट्रस्ट के नाम में परिवर्तन अर्न्तविलित हो या जो ट्रस्ट के उद्देश्यों से असंगत या प्रतिकूल हों।

(2) यदि किसी कारणवश यह ट्रस्ट समाप्त हो जाता है तब ऐसी दशा में ट्रस्ट की सभी सम्पत्ति जो भी दायित्व या देन-दारी के बाद बच जाती है वह ट्रस्टियों को न बांटकर बल्कि किसी ऐसी ही संस्था या ट्रस्ट को जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट के अनुरूप हों, सौंप दी जायेगी।

18. **प्रतिबंध**

ट्रस्ट द्वारा शिक्षण संस्थान (स्कूल) खोले जाने पर निम्न प्रतिबंध मान्य होंगे।

(1) स्कूल प्रबंध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित सदस्य शामिल किया जायेगा।

(2) ट्रस्ट द्वारा अनुसूचित/पिछड़ी जाति-जनजाति का आरक्षण एवं फीस आदि का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(3) स्कूल किसी भी दशा में राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं करेगा।

(4) माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

(5) कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर दिया जायेगा।

(6) कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका राज्य सरकार के नियमानुसार रक्खी जायेगी।

(7) ट्रस्ट समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगा।

(8) स्कूल के लेखा-पुस्तिका आदि का रख-रखाव शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार किया जायेगा।

VIPIN-Sanjay

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
5542	2010-2011	4

Ist Party न्यासकर्ता

IInd Party

Witness गवाह

Ist Party

IInd Party

ı Party न्यासकर्ता :- Vipin Sehgal

d Party न्यासी :- Shree Bhagirathi Charitable trust

itness गवाह Ajay Mittal, C.P.Srivastav

Certificate (Section 60)

Registration No.5,542 in additional Book No.4 Vol No 3,402

n page 96 to 110 on this date 11/05/2010 day Tuesday

and left thumb impressions has/have been taken in my presence.

Sub Registrar

Sub Registrar VIII

New Delhi/Delhi

ate 11/05/2010

अतः मैंने अपनी सही सेहत व सही दिमागी हालत में खूब सोच व समझकर इस ट्रस्ट विलेख को लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

VIPIN Sangal
(संस्थापक)

दिनांक - 11-5-2010

स्थान दिल्ली

गवाह :-

PANAACNPM-3311M
Ajay Mittal
S/o Late Sh. N.R. Mittal
1. 203/1 BRHAM PURI
MUZAFFARNAGAR

2.

Chandra Prakash Srivastva
Advocate
Reg. No. D/763/1976
Bar Council of Delhi
205, Shashi Nagar, Delhi-31